

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।  
--: कार्यालय आदेश ::--

का० आ० सं०-1/स्थाप०-3005/2011-02

पटना-01, दिनांक-12.01.17

बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2008 के कंडिका-6 (5) एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2937 दिनांक-31.03.11 की कंडिका-3 (iv) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित चतुर्थवर्गीय कर्मियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार नियोजन लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान बैंड वेतन 5200-20200/- + ग्रेड पे 1900) पर सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है-

क्र० सं०	नाम	वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	नये पदस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री विश्वनाथ सिंह	02	अ०प्रा०नि०, दरभंगा	जिला नियोजनालय, खगड़िया
2	श्री सीताराम साह	03	जिला नियोजनालय, सीतामढ़ी	वि०वि०नि०सू० एवं मार्गदर्शन केन्द्र, मुजफ्फरपुर
3	श्री रामनरेश ठाकुर	11	अ०प्रा०नि०, मुजफ्फरपुर	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना
4	श्री उमाशंकर प्रसाद सिंह	14	अ०प्रा०नि०, गया	जिला नियोजनालय, कैमूर
5	श्री सुन्देश्वर बैठा	18	अ०प्रा०नि०, मुजफ्फरपुर	जिला नियोजनालय, कटिहार
6	श्री योगेन्द्र प्रसाद	23	अ०प्रा०नि०, पटना	जिला नियोजनालय, आरा
7	श्री सुधीर कुमार सिंह	24	अ०प्रा०नि०, भागलपुर,	जिला नियोजनालय, लखीसराय
8	श्री मोहन प्रसाद साह	28	जिला नियोजनालय, बेतिया	उप निदेशक का कार्यालय, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा
9	श्री शंभु प्रसाद गुप्ता	29	जिला नियोजनालय, मधेपुरा	जिला नियोजनालय, अररिया
10	श्री गौतम कुमार	33	अ०प्रा० नि०, पटना	जिला नियोजनालय, मुंगेर
11	श्री संतोष कुमार सिंह	34	जिला नियोजनालय, नवादा	जिला नियोजनालय, मुंगेर (प्रतिनियुक्त जिला नियोजनालय, शेखपुरा)

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
3. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एवं एस० एल० पी० (सी०) सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह०/-  
(संजय कुमार सिंह)  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप०-3005/2011-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन),/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/सभी संबंधित नवप्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नवप्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान हेतु 15 जनवरी 2017 तक विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सभी स्थानांतरित निम्नवर्गीय लिपिकों का जनवरी 2017 का वेतन भुगतान स्थानांतरित स्थान से ही किया जाय।

2. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।


(क०प०उ०)

ज्ञापक-1/स्थाप0-3005/2011- 22

पटना-01, दिनांक- 12.01.17

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, श्रम  
कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने संबंधी



निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

U.K